न्यायालय– आलोक पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तिल्दा, जिला–रायपुर (छ०ग०

दां०प्र०क्र० ८१४/२०२२
थाना–तिल्दा नेवरा का अपराध क्र० ३६३/२०२२
सी०एन०आर०क्र०–सीजीआरपी०७०००८६०२०२२
संस्थित दिनांक ३०.०९.२०२२

अभियोजन	छ०ग० राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र तिल्दा–नेवरा जिला–रायपुर (छ०ग०)
अभियोजन अधिकारी	श्री राजेश कुमार पाण्डेय
आरोपी/आरोपीगण	**०१**–चंद्रशेखर साहू पिता श्री विरेन्द्र साहू, उम्र–२२ साल, निवासी–वार्ड क्रमांक ०१, सासाहोली थाना तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर (छ०ग०) **०२**–यशवंत बघेल पिता श्री कन्हैया उर्फ कान्या बघेल उम्र–२३ साल, निवासी वार्ड क्रमांक २० मिशन कालोनी तिल्दा, जिला रायपुर (छ०ग०) **०३**–पृथ्वी लोहा, पिता श्री उज्जल लोहा, उम्र–२७ साल, सा० वार्ड क्रमांक २१ मिशन कालोनी तिल्दा, जिला रायपुर (छ०ग०)
अधिवक्ता	श्री राम वाधवा अधि०

अपराध दिनांक	०८.०८.२०२२
प्रथम सूचना का दिनांक	०९.०८.२०२२
अभियोग पत्र प्रस्तुति का दिनांक	२०.०९.२०२२
आरोप पत्र विरचित किये जाने का दिनांक	०२.१२.२०२२
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने का दिनांक	०९.०१.२०२३
निर्णय दिनांक	२७.०९.२०२३
दण्डदादेश दिये जाने की तिथि, यदि कोई हो तो	निरंक

अभियुक्त का विवरण

Rank of the Accused	Name of accused	Date of arrest	Date of release on bail	Offence charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	period of detention underoe during trial for purpose of section 428 Cr.p.c
१	चन्द्रशेखर साहू	०९.०८.२०२२	०९.०८.२०२२	२९४,३२४, ५०६ भाग–२ सहपठित धारा ३४ भा०दं०सं०	दोषमुक्त	निरंक	निरंक
२	यशवंत बघेल	०९.०८.२०२२	०९.०८.२०२२	२९४,३२४, ५०६ भाग–२ सहपठित धारा ३४ भा०दं०सं०	दोषमुक्त	निरंक	निरंक
३	पृथ्वी लोहा	०९.०८.२०२२	०९.०८.२०२२	२९४,३२४, ५०६ भाग–२ सहपठित धारा ३४ भा०दं०सं०	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

Index

S.NO.	Description	Page no.
1.	Heading of Judgement	१
2.	Appearance of Advocates	१

3.	Charge	३
4.	Admitted Facts	३
5.	Prosecution Story	४
6.	Point for determination	५
7.	Reasons and findings	५ से ९
8.	sentence	----
9.	Period of Detention & set-Off	----
10.	Disposal of Property	९
11	Order of Compensation	----
12.	Certificate under section 428 Crpc	९
13.	Warrant of Commitment on a sentence (Imprisonment or Fine)	----
14.	Copy of Judgement	----

–//निर्णय//–

(आज दिनांक २७–०९–२०२३ को घोषित किया गया)

०१. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा २९४, ३२४ सहपठित धारा ३४, ५०६ भाग–२ भारतीय दंड संहिता (एतद्पश्चात् "भा0 दं0 सं0'' से संबोधित) के तहत् यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक ०८.०८.२०२२ को समय २३:१५ बजे प्रार्थी रवि कुमार यदु को मां बहन की अश्लील गालियां देकर, जान से मारने की धमकी देते हुए आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रशरण में स्टील के चुडे से प्रार्थी को उसके द्वारा दिए गए प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया मारकर साधारण उपहति कारित की गई।

०२. प्रार्थी एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने के आधार पर अभियुक्तगण को दिनांक २७/०९/२०२३ को धारा २९४ एवं ५०६ भाग–२ भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।

०३. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक ०९.०८.२०२२ को प्रार्थी रवि कुमार यदु द्वारा मौखिक सूचना दर्ज कराई गई कि दिनांक ०८ .०८.२०२२ को जब वह अपने दोस्त दुलेश यदु के साथ खाना खाने के लिए नसीब रेस्टोरेंट में बैठा था तब फोन पर बात करने को लेकर उसका कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिस पर रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा समझाईश दी गई थी। दुलेश यदु ने विवाद करने वाले लोगों का नाम यशवंत बघेल, पृथ्वी लोहा एवं चंद्रशेखर साहू होना बताया था। रात्रि करीबन ११:१५ बजे जब प्रार्थी सोनी अस्पताल के सामने पेशाब करने के लिए रूका था तब अभियुक्तगण वहां आए और उसे मां बहन की अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर अभियुक्त चंद्रशेखर एवं यशवंत साहू ने हाथ मुक्के से तथा अभियुक्त पृथ्वी लोहा ने हाथ में पहने हुए कड़े से मारपीट की थी। प्रार्थी की सूचना पर थाना तिल्दा–नेवरा में अपराध क्रमांक ३६३/२०२२ अंतर्गत धारा २९४, ३२३, ३२४, ५०६, ३४ भा०दं०सं० कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–०१ दर्ज की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा प्र0पी०–०२ तैयार किया गया। गवाहों के कथन लेखबद्व किये गये एवं विधिवत् जप्ती कार्यवाही कर जप्ती पत्रक प्र०पी०–०३ तैयार किये गये। तत्पश्चात् अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०–०६ से ०८ तैयार किया गया। अन्वेषण की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा २९४, ३२३, ३२४ सहपठित धारा ३४, ५०६ के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

०४. प्रकरण में आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाया समझाया गया। अभियुक्तगण से पूछे जाने पर अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुये आरोपित अपराध करने से इंकार किया है। प्रकरण में अभियुक्तगण को धारा ३१३ दं0प्र0सं0

के तहत परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोष होना एवं झूंठा फंसाये जाने का कथन किया है तथा अपने पक्ष समर्थन में बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

०५. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न विरचित किये गयेः–

०१. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक ०८.०८.२०२२ को समय २३:१५ बजे स्थान सोनी अस्पताल तिल्दा अंतर्गत थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर के पास लोकस्थान पर प्रार्थी रवि कुमार यदु को साधारण उपहति कारित करने का सामान्य आशय सृजित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थी को लोहे के कड़े से मारपीट कर उसके द्वारा दिए गए प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

०२– दोषसिद्धी एवं दंडादेश, यदि हो?

–::विचारणीय प्रश्नों पर विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष::–

विचारणीय प्रश्न क्र०–०१ परः–

०६. प्रकरण में प्रार्थी से अभियुक्तगण का राजीनामा हेाने के आधार पर धारा ३२४ सहपठित धारा ३४ भा०दं०सं० का ही आरोप शेष है। अतः निर्णय में उपरोक्त धारा के संबंध में ही साक्ष्य की विवेचना की जा रही है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी रवि कुमार यदु अ०सा०–०१ ने बताया है कि जब पुलिस वाले अभियुक्तगण को पकड़कर लाए थे तब उसने अभियुक्तगण को थाने में देखा था। आज से पांच से छः माह पूर्व घटना दिनांक को वह दुकान बंद करने के बाद अपने दोस्त दुलेश यदु के साथ नसीब रेस्टारेंट में खाना खाने गया था। खाना खाने के दौरान कुछ लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे उसी दौरान प्रार्थी के घर से फोन आने पर प्रार्थी ने उन्हें गाली गलौज करने से मना किया जिस पर वह विवाद करने लगे, मैनेजर ने उनको

रेस्टोरेंट से बाहर कर दिया। खाना खाने के बाद दुलेश अपने घर चला गया और प्रार्थी अपने घर आते समय सोनी हास्पिटल के सामने पेशाब करने के लिए रूका तभी पीछे से तीन व्यक्ति आए और उसके साथ मारपीट करने लगे। साक्षी ने यह बता पाने में असमर्थता व्यक्त की है कि उसे किस वस्तु से मारा गया था। साक्षी स्वयं के द्वारा घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–०१ दर्ज कराने की पुष्टि की है। अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण स्वरूप पूछे गए इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस बयान में घटनास्थल पर पेशाब करते समय अभियुक्तगण द्वारा आकर उसे गंदी गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने तथा अभियुक्त यशवंत बघेल एवं चंद्रशेखर साहू द्वारा हाथ मुक्के से एवं पृथ्वी लोहा द्वारा हाथ में पहने चुड़े से मारपीट करने की बात बताई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह घटना के पूर्व अभियुक्तगण को नहीं जानता था तथा घटना के समय भी अभियुक्तगण का नाम नहीं जानता था। साथ ही स्वीकार किया है कि उसे अभियुक्तगण के नाम पुलिस द्वारा बताए जाने पर जानकारी हुई थी।

०७. इस प्रकार साक्षी ने अभियुक्तगण की पहचान के संबंध में संदेहास्पद कथन किए है। प्रकरण के विवेचनाधिकारी प्रधान आरक्षक बलराम ध्रुव अ०सा०–०५ के द्वारा दिनांक ०९.०८.२०२२ को प्रार्थी की अभियुक्तगण के विरूद्ध नामजद सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–०१ दर्ज किए जाने की पुष्टि की गई है। इस संबंध में प्रथम सूचना पत्र प्र०पी० –०१ के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थी को अभियुक्तगण के नाम की जानकारी उसके साथ दुलेश यदु के द्वारा बताए जाने पर हुई थीं, परंतु स्वयं प्रार्थी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–०१ में अभियुक्तगण का नाम उसके दोस्त दुलेश यदु से पता चलने के सुझाव से इंकार किया है। साथ ही स्वयं साक्षी दुलेश यदु अ०सा०–०४ ने भी अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार किया है।

प्रार्थी के द्वारा बताया है कि अभियुक्तगण को पुलिस ने प्रार्थी से प्राप्त मोटरसायकल नंबर के आधार पर पकड़ा था, परंतु प्रकरण में ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें प्रार्थी के द्वारा अभियुक्तगण के मोटरसायकल का नंबर बताया गया हो। इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियों में प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अभियुक्तगण की पहचान का प्रश्न ही गंभीर संदेह की परिधि में आ जाता है।

०८. प्रार्थी के द्वारा मुख्य परीक्षण में यह बता पाने में असमर्थता व्यक्त की गई है कि उसे किस वस्तु से मारा गया था, परंतु पुनः साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे अभियुक्त यशवंत बघेल एवं चंद्रशेखर साहू ने हाथ मुक्के से तथा पृथ्वी लोहा ने अपने हाथ में पहने चुड़े से मारपीट किया था। पुनः इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष के सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना के समय किस अभियुक्त के द्वारा गाली गलौज की गई थी, मारपीट की गई थी, उनका नाम वह नहीं जानता है, स्वतः कथन किया है कि घटना के समय अंधेरा था। इस प्रकार साक्षी ने तीन अवसरों पर तीन पृथक–पृथक कथन किए हैं। साथ ही साक्षी के मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के अवलोकन उपरांत यह तथ्य अन–उत्तरित पाया जाता है कि उसके द्वारा अभियोजन के इस सुझाव को किस आधार पर स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त यशवंत बघेल एवं चंद्रशेखर साहू ने हाथ मुक्के से तथा पृथ्वी लोहा ने अपने हाथ में पहने चुड़े से मारपीट किया था। प्रकरण में अभिकथित रूप से अभियुक्त पृथ्वी लोहा से लोहे के चुड़े की जप्ती कार्यवाही का समर्थन भी साक्षीगण सुरेश कुमार वर्मा अ०सा०–०२ एवं दुलेश यदु अ०सा०–०४ के द्वारा नहीं की गई है। अतः प्रकरण में अपराध हेतु प्रयुक्त वस्तु की भी जप्ती कार्यवाही प्रमाणित नहीं होती है।

०९. बार्को जोसफ एवं अन्य विरूद्ध केरल राज्य, ए०आई०आर० १९९३, एस०

सी० १८९२ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि **संदेह सबूत का स्थान नहीं ले सकता। सत्य हो सकता है एवं सत्य है, के मध्य काफी भेद है तथा अभियोजन को अपने पक्ष समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है।** इसी प्रकार special leave petition (crl.) No. 1156/2021. The State of Odisa Vs. Banabihari Mohapatra and Anr. Judgement dated 12–02–2021 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्गदर्शन किया गया है कि **It is well settled by a plethora of judicial pronouncement of this court that suspicion, however stron cannot take the place of proof. An accused is presumed to be innocent unless proved guilty beyond reasonable doubt.**

१०. इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांतों के माध्यम से मार्ग प्रशस्त किया गया है कि अभियोजन को अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है तथा इसके अभाव में संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी रवि कुमार यदु अ०सा० –०१ एवं दुलेश कुमार यदु अ०सा०–०४ के न्यायालयीन कथन तथा प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–०१ के समग्र अवलोकन से अभियुक्तगण की पहचान का तथ्य अत्यंत संदेहास्पद पाया जाता है। अतः उक्त गंभीर संदेह की उपस्थिति में उपरोक्त न्यायदृष्टांत के अनुसार प्रकरण में यह तथ्य स्थापित करने में अभियोजन को असफल पाया जाता है कि घटना दिनांक को प्रार्थी के साथ अभिकथित रूप से घटित घटना अभियुक्तगण के द्वारा ही कारित की गई थी। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा ३२४ सहपठित धारा ३४ भा०दं०सं० का आरोप साबित नहीं पाया जाता है।

११. प्रकरण की परिस्थितियों एवं प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों के सूक्ष्म परिशीलन उपरांत न्यायालय का निष्कर्ष है कि अभियोजन अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित कर पाने

में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण चंद्रशेखर साहू, पृथ्वी लोहा एवं यशंवत बघेल को धारा ३२४ सहपठित धारा ३४ भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त घोषित कर उन्हें स्वतंत्र किया जाता है

१२. प्रकरण में अभियुक्तगण के जमानत मुचलके धारा ४३७–क दं०प्र०सं० के उपबंधों के अधीन रहते हुये निरस्त किये जाते हैं।

१३. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति लोहे का चूडा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावें एवं अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

१४. प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि के संबंध में धारा ४२८ दं०प्र०सं० के अंतर्गत तैयार प्रमाण पत्र इस प्रकार है–

क्र०	**अभियुक्त**	**गिरफ्तारी दिनांक**	**न्यायिक अभिरक्षा**	**पुलिस अभिरक्षा**	**मुजरा हेतु कुल अभिरक्षा अवधि**
१.	चंद्रशेखर साहू	दिनांक ०९.०८.२०२२	निरंक	निरंक	निरंक
२.	यशवंत बघेल	दिनांक ०९.०८.२०२२	निरंक	निरंक	निरंक
३.	पृथ्वी लोहा	दिनांक ०९.०८.२०२२	निरंक	निरंक	निरंक

निर्णय दिनांकित हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

मेरे निदेशन पर टंकित।

सही/–
(**आलोक पाण्डेय**)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तिल्दा जिला रायपुर (छ०ग०)

सही/–
(**आलोक पाण्डेय**)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तिल्दा जिला रायपुर (छ०ग०)